न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या 110/2025
जीसीएमएस नं0 2025/171

1. बिहारीलाल वर्मा आत्मज स्व. श्री बजरंगलाल निवासी म.नं. 2—र—28 विज्ञान नगर कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1 चेतना वर्मा पुत्री बिहारी लाल वर्मा,
2. मनीष वर्मा पुत्र बिहारीलाल वर्मा
निवासीगण म.नं. 2—र—28 विज्ञान नगर कोटा

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री आशीष भारद्वाज, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक—28.04.2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 27.10.2025 को आदेश पारित किया है कि—"प्रार्थी अपने कथनों को सिद्व करने में असफल रहे है । अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । जिस कारण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान नं0 2 र 28 विज्ञान नगर कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ गाली गलोच एवं मारपीट नहीं करें और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करें तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें और ना ही प्रार्थी का रास्ता रोके । यदि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं की जाती है तो प्रार्थी पर्याप्त आधारों एवं सबूतों के साथ उक्त मकान से अप्रार्थीगण की बेदखली हेतु पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।
2. अपीलान्ट ने उक्त आदेश दिनांक 27.10.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.11.2025 को जरिये अभिभाषक धार्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री आशीष भारद्वाज का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पोडेन्ट की ओर से भी एक अपील अपीलाधीन आदेश की पृथक से प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पृथक से कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने से इस अपील के साथ क्लब की गई । उभयपक्ष की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत हुई । मौखिक बहस भी सुनी गई ।
3. वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी काएक मकान वाके म.नं. 2—र—28 विज्ञाननगर, कोटा पर स्थित है । अपीलार्थी को उक्त मकान राजस्थान आवासन मण्डल से आवंटित हुआ है, जिसका पंजीयन अपीलार्थी के पक्ष में पंजीबद्व हो रहा है तथा उक्त मकान पर अपीलार्थी का स्वामित्व व अधिकार चला आ रहा है ।

दिनांक 12.8.2021 से पूर्व अपीलार्थी की पत्नी व प्रत्यर्थी नं0 1 व 2 भी साथ ही उक्त मकान में निवास करते थे लेकिन प्रत्यर्थी नं0 2 द्वारा अपीलार्थी के साथ दिनांक 7.7.2021, 13.7.2021, 16.7.2021 एवं दिनांक 5.8.2021 को गाली गलौच कर मारपीट की । जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी नं0 2 के विरूद्व थाना विज्ञान नगर कोटा शहर में शिकायत दर्ज करवाई गई थी । तत्पश्चात पुलिस थाना विज्ञान नगर द्वारा कार्यवाही करने पर प्रत्यर्थी नं0 2 मनीष वर्मा ने दिनांक 12.8.2021 को अपने समस्त सामान सहित अपीलार्थी का मकान खाली कर दिया था । उसी दिन दिनांक 12.08.2021 को अपीलार्थी की पत्नी व प्रत्यर्थी नं. 1 ने भी प्रत्यर्थी नं.2 के मकान खाली करने के साथ ही अपना सारा सामान, कपडे, बिस्तर, सोने चांदी के जेवर, बर्तन एवं अन्य सामान अपने साथ लेकर अपीलार्थी का मकान खाली कर अन्यत्र किराये के मकान में निवास करने चले गये थे, तत्पश्चात सवा तीन साल बाद अपीलार्थी की पत्नी के परिवारजनों की समझाईश पर अपीलार्थी की पत्नी एवं प्रत्यर्थीगण तीनों दिनांक 6.12.2024 से पुनः अपीलार्थी के मकान में निवास कर रहे है । दिनांक 6.12.2024 के बाद से ही प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी के साथ मिलकर दुर्व्यवहार कर रहे है और अपीलार्थी को अपने ही मकान में चैन से नहीं रहने दे रहे है और प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को अपने ही घर में अलग निवास करने पर मजबूर कर रखा है । प्रत्यर्थीगण आए दिन किसी न किसी बहाने से अपीलार्थी के साथ छोटी छोटी बातों पर लडाई झगडा कर मारपीट करते है तथा अपीलार्थी को प्रताडित कर घर से बाहर निकालने पर आमादा है । अपीलार्थी के स्वामित्व का एक वाहन स्कूटर एक्टिवा है जिसका रजि. नं. आर जे 20 एस पी 2028 है जिसका उपयोग प्रत्यर्थी नं0 1 द्वारा किया जा रहा है, साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से एक ओर स्कूटर लेट्स सुजुकी कम्पनी का रजि. नं. आर जे 20 एन.एस. 5254 प्रत्यर्थी नं. 1 को खरीदकर दिया गया, जिसकी आर सी प्रत्यर्थी नं0 1 के नाम से ही है जिसका उपयोग अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा है लेकिन प्रत्यर्थी नं0 1 ने अपीलार्थी द्वारा खरीद किये गये वाहन स्कूटर लेट्स को चैन से बांधकर ताला लगा रखा है, जिसके कारण अपीलार्थी को आने जाने में काफी परेशानी का सामना उठाना पड रहा है । अपीलार्थी मई 2000 से भारत सरकार की पी एस यू कम्पनी इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि0 (आई एल) कोटा से सेवानिवृत व्यक्ति है जिससे अपीलार्थी को कोई पेंशन प्राप्त नहीं होती है, ना ही अपीलार्थी को राजस्थान सरकार से वृद्वावस्था पेंशन मिली है और ना ही आरजीएचएस व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है । अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति के बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी नं0 1 को बी.ए., डबल एम.ए. एवं तीन वर्ष का कम्प्यूअर शिक्षा का डिप्लोमा करवाया तथा जयपुर से बी.एड करवाया । प्रत्यर्थी नं. 1 दिनांक 15.7.2013 से राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है । जो झालावाड जिला परिषद की भवानीमण्डी पंचायत समिति में पदस्थापित है तथा वर्तमान में कोटा जिला परिषद में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है जिसे 60,000/– प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है । अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रर्थी नं0 2 को भी वर्ष 2007 में आईआईटी मुम्बई से बी.टेक करवाया तथा बाद में 'इरमा' आनंद (गुजरात) से एम.बी.ए. करवाया इसके पश्चात दिनांक 23.12.2024 से प्रत्यर्थी नं0 2 अपीलार्थी के मकान में मेथेमेटिक्स गुरूकुल के नाम से कोचिंग इन्स्टीट्यूट का संचालन करता है, जिससे उसे 50,000/– मासिक आय अर्जित होती है ।

4. प्रत्यर्थीगण परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य है, जिसके कारण उक्त प्रत्यर्थीगण की ही अपीलार्थी के चाय, दूध नाश्ता, खाना ईलाज आदि का खर्चा वहन करने में नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन प्रत्यर्थीगण ऐसा नहीं कर रहे है, ना ही अपीलार्थी की देखभाल कर रहे है, उल्टा अपीलार्थी के साथ क्रूरतापूर्ण आचरण करते हुए उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है । अपीलार्थी द्वारा ही उक्त मकान के नल बिजली के बिलों का भुगतान, कामवाली बाई का झाडू पोछे का प्रतिमाह भुगतान तथा सफाईकर्मी को टॉयलेट की सफाई आदि का भुगतान भी अपीलार्थी द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त मकान में होने वाले अन्य खर्चो का भुगतान भी अपीलार्थी द्वारा किया जाता है । विगत एक वर्ष से अधिक समय से प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के भरण पोषण, खाना पानी आदि की व्यवस्था नहीं की है

जिसके कारण अपीलार्थी को स्वयं का खाना, नाश्ता बनाकर खाना पड रहा है । तथा प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी को किचन में खाना भी नहीं बनाने देते है तथा अपीलार्थी के साथ अनावश्यक रूप से लडाई झगडा करते है । प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी को मकान से बेदखल करने के आशय व उद्देश्य से आए दिन अपीलार्थी के साथ लडाई झगडा कर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करते है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मकान 2–र–28 विज्ञान नगर, कोटा में स्थित जिस परिसर में प्रत्यर्थीगण निवासरत है से प्रत्यर्थीगण को तत्काल बेदखल किया जावें ताकि अपीलार्थी मकान में शंतिपूर्ण निवास कर सकें तथा सुरक्षित रूप से अपना जीवनयापन कर सकें । साथ ही प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी को भरण पोषण के रूप में 30,000/– प्रतिमाह की दर से अपीलार्थी को अदा करें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट ने अपील में सर्वथा गलत तथ्य अंकित किये है जो सर्वथा स्वीकार योग्य नहीं है । रेसपो0 ने कभी भी अपीलांट के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और न उनके साथ कभी मारपीट व झगडा किया । अपीलार्थी को कभी भी उक्त मकान से बाहर नहीं निकाला । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में दर्ज तथ्य जो अपीलार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित किये है जिसकी एक तरफा तोर से सुनवाई की गयी जिसमें अपीलार्थी उसे प्रमाणित नहीं कर सकता, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पो0 अपीलार्थी के पुत्र व पुत्री है तथा अपीलार्थी रेस्पो0 के पिता है । रेस्पो0 अपनी माता के साथ उक्त मकान में निवास करते चले आ रहे थे किन्तु अपीलार्थी का व्यवहार रेस्पो0 व उनकी माता के साथ कूरता पूर्ण रहा तथा वार वार अपीलार्थी द्वारा झूंठी शिकायत करने पर रेस्पो0 ने अपनी माता को लेकर वर्ष 2021 में मकान खाली कर दिया । बाद में जाति समाज व आपस के रिश्तेदारों द्वारा समझाईश करने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 6.12.2024 को रेस्पोडेन्ट को मकान में पुनः रहने दिया तब से रेस्पोडेन्ट शांतिपूर्ण तरीके से अपीलार्थी के साथ उक्त मकान में शांतिपूर्वक सोहार्द तरीके से निवास करते चले आ रहे है । अपीलार्थी मकान का मालिक है ओर अपीलार्थी को सभी प्रकार से मकान का उपयोग करने का अधिकार है, रेस्पो0 ने अपीलार्थी को मकान के उपयोग व उपभोग करने से कभी नहीं रोका ओर न उनके साथ अभद्र व्यवहार किया ओर न उनके साथ गाली गलोच किया ओर न लडाई झगडा किया । रेस्पो0 नं0 2 उक्त मकान में कोचिंग चलाता है ओर वहां सभी तरह के बच्चे पढने आते है तो अपीलार्थी स्वयं ही बच्चों को आने के लिये व पढने से इन्कार करता है तथा रेस्पो0 को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित कर मकान से बाहर निकालने पर आमादा रहता है । जबकि अपीलार्थी को सभी प्रकार की सुख सुविधायें दी हुई है तथा मकान में जो भी खाना बनता है वह सभी के लिये बनता है । अपीलार्थी को कोई वस्तु खाने व खिलाने से मना नहीं किया तथा अब तक अपीलार्थी के साथ सद्व्यवहार ही किया है । कभी कूरता पूर्ण व्यवहार नहीं किया तथा भविष्य में भी अपीलार्थी के साथ सद्व्यवहार किया जाता रहा है । दिनांक 23.9.2024 को रेस्पोडेन्ट के भ्राता रजनीश वर्मा की बेंगलोर में अचानक मृत्यु हो जाने पर रेस्पो0 व उनकी माता एवं कृष्ण कुमार वर्मा के साथ जब बेंगलोर जाने वाले थे तब अपीलार्थी को भी साथ लेकर गये थे, उस समय हम लोग फ्लाईट से जयपुर से वेंगलोर गये थे जिसका पूरा खर्चा रेस्पो0 चेतना ने उठाया था उस वक्त हमारी सारी फ्लाईट की बुकिंग विमल वर्मा उर्फ विक्की द्वारा की गयी जिसका ऑन लाईन पेमेन्ट चेतना ने किया था । इतना बडा हादसा होने पर भी अपीलार्थी ने एक बार भी रेस्पो0 व उनकी माता से कोई बात नहीं की, न ही हाल चाल पूछा, ना अपने बेटे के मरने का दुख व्यक्त किया । अपीलार्थी अपने बेटे का तीसरा करके पुनः कोटा आ गया जिसका फ्लाईट का खर्चा चेतना ने उठाया था, रेरपो0 अपनी माता के साथ बेंलोर में ही रहे, दिनांक 3.10.2024 को 12वें में शामिल होने अपीलार्थी के बडे भाई के बेटे प्रकाश वर्मा अजमेर से आये जिन्होने रेस्पो0 चेतना के साथ गाली गलोच की व बदतमीजी की व अभद्र व्यवहार किया ।

6. वकील रेस्पोन्डेन्ट ने आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 26.11.2025 को विज्ञान नगर थाने से रेस्पोन्डेन्ट को पता चला कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां रेस्पो0 के खिलाफ मई 2025 में केस दर्ज कराया है जिसका कोई नोटिस रेस्पो0 को प्राप्त नहीं हुआ उसमें दिनांक 27.10.2025 को फैसला भी हो गया जिसकी एक प्रति थाना विज्ञान नगर पर दिनांक 26.11.2025 को बुला कर दी गई । थाने में मौजूद राकेश चौधरी ने रेस्पो0 की माता से एक्टिवा गाडी नं0 आरजे 20-एसपी-2028 की चाबी लेकर अपीलार्थी को दे दी इस पर माता ने कहा कि रेस्पो0 चेतना के नाम सुजुकी गाडी आर जे-20-एमएस 8254 है वह अपीलार्थी के पास है उसकी चाबी व मूल कागजात हमें दिलाओं तो पुलिस वालों ने उक्त गाडी की केवल चाबी दिलायी व कागजात की फोटो कोपी दे दी तथा अपीलार्थी ने कहा कि असल कागजात नहीं मिल रहे है इसके बाद पुलिस वाला घर पर आया और उसी के सामने अपीलार्थी ने मकान के बरामदे में रखी आलमारियों के ताले खोल कर अपना जरूरत का सारा सामान निकाल कर पुनः अलमारी पर ताला लगाकर चले गये । अपीलार्थी अपने जीवनकाल में नोकरी करते थे पेंशन होने के बाद काफी रकम प्राप्त हुई है जो एफडी के रूप में उनके पास है, अपीलार्थी विवादित मकान में ही रेस्पो0 व उनकी माता के साथ निवास करते है व अपीलार्थी को कभी भी खाना खिलाने से मना नहीं किया बल्कि अपीलार्थी व उनकी पत्नी के मध्य विवाद होने से उक्त प्रार्थना पत्र व अपील पेश की है, इस कारण अपीलार्थी रेस्पो0 से किसी प्रकार की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थी को प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मकान 2-ए-28 विज्ञान नगर कोटा से बेदखल किया जाने का अनुतोष चाहा गया था तथा भरण पोषण के रूप में 30,000/- रूपये प्रतिमाह की दर से ताफैसला प्रार्थना पत्र निस्तारण प्रार्थी को अदा करने का अनुतोष चाहा गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.10.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र से चाहा गया अनुतोष अप्रार्थी की बेदखली एवं भरण पोषण की राशि प्रार्थी को भुगतान करने का अस्वीकार किया गया तथा न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया है कि वह प्रार्थी के साथ गाली गलोच एवं मारपीट नहीं करें और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करें तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ओर ना ही प्रार्थी का रास्ता रोके । अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 27.10.2025 की अप्रसन्नता में इस न्यायालय में दिनांक 20.11.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है ।

8. अपीलांट का इस अपील में मुख्य तर्क है कि मकान 2-ए-28 विज्ञान नगर कोटा का प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान है, अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ अभद्रता, लड़ाई झगडा करते है, भरण पोषण, खाना पीना आदि व्यवस्था अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की जा रही है, अपीलार्थी को स्वयं खाना बनाकर खाना पड रहा है । रेस्पोन्डेन्टगण को अपीलांट ने पढ़ाया लिखाया, इसके बाद रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 चेतना वर्मा पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, जिसको 60,000/- मासिक वेतन प्राप्त होता है तथा रेस्पो0 नं0 2 प्राईवेट कोचिंग चलाता है जिसकी मासिक आय 50,000/- मासिक होती है । इसके बावजूद अप्रार्थीगण प्रार्थी अपीलांट का भरण पोषण नहीं करते है, तथा लड़ाई झगडा आदि करते है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय से अप्रार्थीगण की बेदखली तथा मासिक भरण पोषण की राशि 30,000/- प्रार्थी अपीलांट को अदा करने की प्रार्थना की गई थी, जो अस्वीकार की गई है । अतः प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मकान 2-ए-28 विज्ञान नगर कोटा से बेदखल किया जावें तथा भरण पोषण के रूप में 30,000/- रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि प्रार्थी अपीलांट को अदा करने का अनुतोष इस अपील में चाहा गया है । इसके विपरीत वकील रेस्पोन्डेन्टगण का कथन है कि रेस्पोन्डेन्टगण अपनी मां के साथ निवास करते है, अपीलांट अपनी पत्नी, व रेस्पो0 की मां के साथ लड़ाई झगडा मारपीट करते चले आ रहे है, किन्तु अपीलार्थी का व्यवहार रेस्पो0 व उनकी माता के

साथ कूरता पूर्ण रहा तथा बार बार अपीलार्थी द्वारा झूंठी शिकायत करने पर रेस्पोडेन्ट ने अपनी माता को लेकर मकान वर्ष 2021 में खाली कर दिया किन्तु जाति समाज व आपस के रिश्तेदारों द्वारा समझाईश करने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 6.12.2024 को रेस्पो0 को मकान में पुनः रहने दिया तब से रेस्पो0 शांतिपूर्ण तरीके से अपीलार्थी के साथ उक्त मकान में शांतिपूर्वक निवास करना बताया है । रेस्पोडेन्ट का यह भी आरोप है कि अपीलांट वृद्व है और छोटी छोटी बातों को लेकर आये दिन रेस्पो0 से लडाई झगडा करते रहते है ।

9. उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत तर्को से यह जाहिर आया है कि वर्णित मकान 2–ए–28 विज्ञान नगर कोटा अपीलांट के स्वामित्व का है, जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण अपनी माता के साथ निवास करते है । रेस्पोडेन्ट की माता ने स्वयं रेस्पो0 के साथ उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलांट द्वारा उनके साथ कूरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है, अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के साथ साथ अपीलांट की पत्नी रेस्पो0 की मां के साथ भी लड़ाई झगडा किया जाना बताया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण को प्रार्थी अपीलांट के साथ लडाई झगडा नहीं करने व मकान में शांतिपूर्ण निवास करने भरण पोषण करने के लिए पाबंद किया जा चुका है । रेस्पोडेन्ट की बेदखली हम उचित नहीं मानते है, यदि रेस्पोडेन्टगण को उक्त वर्णित मकान से बेदखल भी कर दिया जाए तो अपीलांट की वृद्वावस्था में या गंभीर बीमारी आदि में पीछे देखभाल करने वाला कोन है, इसका विकल्प अपीलांट ने नहीं दिया है । सीनियर सिटीजन एक्ट की मंशा अनुसार माता पिता एवं वृद्वजनों का वृद्वास्था में उचित देखभाल एवं भरण पोषण आदि की व्यवस्था करना है । यदि रेस्पोडेन्टगण को वर्णित मकान से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलांट की देखभाल का पीछे कोई विकल्प नहीं होने से अपीलांट को ओर अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है । वकील अपीलांट ने अपील के समर्थन में रेस्पोडेन्ट की बेदखली का ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है । वैसे भी अपीलांट के भरण पोषण करने एवं अभद्र व्यवहार नहीं करने के लिए पाबन्द किया हुआ है । इस प्रकार अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट की बेदखली का चाहा गया अनुतोषण स्वीकार योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.10.2025 उचित प्रतीत होने से अपील अस्वीकार योग्य पाते है ।

10. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2025 में कोई हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 28.4.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा